

19.6.25

पयावली आज पेशी में ली गई। बहुत  
उमयपछ पूर्व में लुनी जा चुकी है।  
प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर स्वयं  
खारिज किया जाता है। विस्तृत निष्पत्ति  
अलग से लिखवाया जाकर खुले रूपलात  
सुनाया गया। पयावली नेबर से कम  
की जाकर कारिबल कपलर की जाती  
है अकेब सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

